

10

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

पत्रांक-सी.ई.(एस.एस.)/एस.आई.एण्ड.क्यू.सी./10-11/डी-55 दिनांक-14.9.10

अधिशोषी अभियंता(समस्त)
राजस्थान।

विषय:-समस्त अधिशोषी अभियंताओं के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल खण्डों से प्राप्त रिजल्टों को मूल एग्रीमेंट फाईल में जुडवाये जाने की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है कि अधिशोषी अभियंता (भुगतान अधिकारी) क्वालिटी कंट्रोल खण्डों से प्राप्ता टेस्ट रिजल्टों को अलग से पत्रावली में संधारित करते हैं जो कि सही नहीं है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि कार्य से सम्बन्धित सभी टेस्ट रिजल्ट्स अधिशोषी अभियंता गुण नियंत्रण खण्ड से प्राप्त होने पर उन्हें सम्बन्धित मूल एग्रीमेंट फाईल में ही संधारित करें। इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें तथा भुगतान को टेस्ट रिजल्ट से लिंक करें।


भवदीय



मुख्य अभियंता, (एस.एस.)
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि., राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., रा.उ.मा./भवन/पी.एम.जी.एस.वाई./सड़क, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता(राजस्थान), अनुपालना कराना सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षण अभियंता(समस्त), अनुपालना कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशोषी अभियंता, गुण नियंत्रण खण्ड.....(समस्त)।


मुख्य अभियंता, (एस.एस.)
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।